आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45, 62 एवं 64 एवं उसके अन्तर्गत अधिसूचित छ.रा.विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत पर आधारित टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्ते एवं टैरिफ एवं दरों पर आधारित राजस्व आकलन के निर्धारण हेतु प्रक्रिया एवं प्रणाली संबंधी) नियामावली 2015 सहित प्रभावषील अन्य अधीनस्थ विधायन के प्रावधानो के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रुअप; वर्ष 2017–18 के लिये पुनरीक्षित राजस्व आवश्यकता; एवं वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है जिसे याचिका क्रमांक 64/2016(T) के रूप में पंजीबद्ध किया गया है। याचिका के अनुसार वर्ष 2015–16 के ट्रू–अप पश्चात् राजस्व घाटा 350.41 करोड़ रूपये अनुमानित है जिसे वर्ष 2017–18 की सकल राजस्व आवश्यकता में ब्याज के साथ जोड़ा जाना है। कंपनी के अनुमान के अनुसार वर्ष 2017–18 हेतु पुनरीक्षित राजस्व आवष्यकता 11678.21 करोड़ होगी। प्रचलित विद्युत दर पर विद्युत की खुदरा बिक्री से कुल 12,949.14 करोड़ रूपये की राजस्व अनुमानित है। अतः अकेले वर्ष 2017–18 का राजस्व अधिक्य कुल 1270.94 करोड़ रूपये का अनुमानित है। माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल (विद्युत) के आदेष के अनुपालन एवं राज्य शासन से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की राषि यदि कोई हो तो, समाहित करने के पष्चात टैरिफ संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

01. घरेलू, कृषि एवं उद्योग को सम्मिलित करते हुये निम्नदाब पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग की उपभोक्ता दरें यथावत् रखी जावें।

02. खदान एवं रेलवे को छोड़कर उच्चदाब पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संवर्ग की दरें यथावत् रखी जावें

03. एचवी–3 एवं एचवी–4 उपभोक्ता श्रेणी में लोड फैक्टर आधारित विद्युत दरें लागू की जावें एवं निम्न लोड फैक्टर उद्योगों के लिये लागू टैरिफ श्रेणी एचवी–5 को समाप्त किया जावे।

04. एचवी–4 श्रेणी को पॉवर तीक्ष्ण मानते हुये विद्युत की खपत में वृद्धि के आषय से प्रेरणा के रूप में 60–70 प्रतिषत एवं उससे अधिक मासिक लोड फैक्टर पर विद्युत के उपयोग के लिये चरणों में न्यूनतम 1 प्रतिषत से अधिकतम 15 प्रतिषत की उर्जा

प्रभार में छूट एवं आफ पीक भार अवधि में संविदा मांग के असाधारण उपयोग पर लागू अतिरिक्त प्रभार में छूट लागू की जावे।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं छरावितकंम के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय डंगनिया रायपुर सहित रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अंम्बिकापुर के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं जिन्हें रू. 250/– अंग्रेजी प्रति तथा रू. 50/– हिन्दी प्रति के किसी भी कार्यालयीन दिवस में भुगतान के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इच्छूक व्यक्ति याचिका की प्रति उक्त भुगतान के साथ–साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रू. 50/– के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध होगी। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण इससे सबंधित दस्तावेजों सहित मुख्य अभियंता (वाणिज्य) छरावितकंम रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर रायपुर को समाचार पत्रों में इस आम सूचना के प्रकाषित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा में भेज सकते हैं। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574442 पर एवं आयोग को नंबर 0771–4073553 पर भी भेजी जा सकती है। उक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्तियो की सुनवाई के लिए माननीय आयोग द्वारा सूचना का प्रकाषन पृथक से किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
छराविविकंमर्या, रायपुर